

लिकी बमुकदमे इबादाई

(आदेश 21 नियम 6.7 जाबा दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
दीवानी अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.ए.ए.

राजस्व वाद संख्या 111/2024

वादी

1. रामचन्द्रसिंह पुत्र फौज सिंह जाति पुरोहित निवासी डोडू तहसील डेह

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नारायण सिंह पुत्र फौजसिंह जाति पुरोहित निवासी डोडू तहसील डेह
2. राज्य सरकार जयपुर तहसीलदार डेह



दावा अधीन धारा 53, 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -

1. वादी 1 कि ओर से श्री शिवेन्द्रसिंह कावदी रजवोट
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री शिवकुमार मारसर रजवोट

-: लिखी आदेश :-

यह मुकदमा आज वादो इमजिसान जसई सबक हमारे ल हाजरी जाने के अहोवकता से अहोवकता जसई ल
तिवादीगण के अहोवकता श्री शिवकुमार मारसर रजवोट के उपस्थिति से मुकदमा जसई ल हाजरी के
जाती है कि :-

1. वादी संख्या रामचन्द्रसिंह के हक बंट करमा काश्त से शैवा डोडू के खसरा नम्बर 118 रकबा 1.2528
हैक्टयर रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 नारायणसिंह के हक बंट करमा काश्त से शैवा डोडू के खसरा नम्बर 118 रकबा
10.6837 हैक्टयर रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. शैव खाता यथावत घोषित किया जाता है।
4. उक्त खसरा नं से बैंक के रहम खसरो पर रहम यथावत रजोम कि मुद्रित हो।

पाक कलक्टर
(डी.ओ.) जायल